राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपैक्स मॉल, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर–302015
फोन नम्बर 0141–4009414, **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं/पंजीयन/2021/462 दिनांकः– 1/2/21

समस्त संयुक्त निदेशक जोन
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत पैरामेडिकोज के पंजीकरण बाबत्।
सन्दर्भः– राजस्थान पेरामेडिकल कौंसिल का पत्र क्रमांक 1750 दिनांक 01.04.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल अधिनियम 2008 के विधान के तहत् राज्य सरकार द्वारा गजट दिनांक 08.12.2014 में अधिसूचना प्रकाशित करके राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल का गठन किया जा चुका है। राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल अधिनियम 2008 की धारा 38 में वर्णित है Prohibition of practive expect as provided ion this Act – No person in the State shall practice or hold himself/herself out, whether directly or indirectly, as a para-medical professional unless he/she is registered under this act and no registered para-medical professional in the State shall practice or hold himself/herself out, wheter directly or indirectly, as a Para-medical professional in any area or specialization other than that covered by the Para-medical subject in which he/she has recognized qualification.

विधान के अनुसार राजस्थान राज्य क्षेत्र में बिना राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से पंजीकरण के कोई भी पैरामेडिकल प्रोफेशनल पैरामेडिकोज के बतौर कार्य करने हेतु सक्षम/अधिकृत नहीं होगा। बिना पंजीयन के उक्त कार्य अवैद्य है।

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आपको लिखा गया था कि आप अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत पैरामेडिकोज बाबत् यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने अपना पंजीयन राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में करवा लिया है। जो भी पैरामेडिकोज बिना पंजीकरण के निजी/राजकीय क्षेत्र में कार्यरत है वो अनाधिकृत एवं गैर कानूनी है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करें कि राजकीय/निजी क्षेत्र में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से पंजीयन बिना कोई पेरामेडिकोज कार्य नहीं करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर
दिनांकः– 1/2/21

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं/पंजीयन/2021/462
प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)